



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2019, शनिवार/भाद्र 10—भाद्र 16, 1941
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2019, SATURDAY/BHADRA 10—BHADRA—16, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

का.आ. 1596.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करके उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित, और संशोधन करती है।

उक्त प्रथम अनुसूची में 'मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता' शीर्षक के अधीन [जिसे इसके आगे कालम(2) कहा गया है] "शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर" के सामने अंतिम प्रविष्टि के पश्चात और 'पंजीकरण के लिए संक्षिप्तकरण' [जिसे इसके आगे कालम(3) कहा गया है] से संबंधित प्रविष्टि के संबंध में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा. अर्थात्:-

(2)
"डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (बाल रोग)"

(3)
एमडी (बाल रोग)
(यह एक मान्यता प्राप्त मेडिकल अर्हता होगी जब यह इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटल, भुवनेश्वर में 2018 को या बाद में प्रशिक्षित किए गए छात्रों के संबंध में शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर द्वारा प्रदत्त होगी।)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. 1634.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, नामतः—

राज्य	जिला	राजस्व केन्द्र
असम	कारबी आंग्लोंग	बोकाजन सब-डिवीजन

[सं. एस-38013/07/2019-एसएस-I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 1634.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st September, 2019 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Assam namely:-

STATE	DISTRICT	ALL THE AREAS FALLING UNDER
Assam	Karbi Anglong	Bokajan Sub-Division

[No. S-38013/07/2019-SS-I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. 1635.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों (पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा) में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

क्रम सं.	जिले का नाम
1	तिरुनेल्वेलि

[सं. एस-38013/09/2019-एसएस-I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th Augsut, 2019

S.O. 1635.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st September, 2019 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and

Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77,78,79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following District in the State of Tamil Nadu, in whole, in addition to the already implemented areas in the district namely:-

Sl. No.	NAME OF THE DISTRICT
1	TIRUNELVELI

[No. S-38013/09/2019-SS-I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. 1636—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, पटना (बिहार) के पंचाट (संदर्भ सं. 28 (सी)/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 29.08.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-39025/01/2019-आईआर (बी-II)]

सीमा बंसल, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 1636.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 28(C) of 2015) of the *Industrial Tribunal*, PATNA (BIHAR) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 29.08.2019.

[No. L-39025/01/2019-IR(B-II)]

SEEMA BANSAL, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PATNA

I.D. Case No.:- 28 (C) of 2015

Between the management of (1) Zonal Manager, Central Bank of India, Maurya Lok Complex, Block-'B', 2nd Floor, Patna-800001 (2) The Regional Manager, Central Bank of India, Allalpatti, Darbhanga-846001 And Their workman Sri Babu Saheb Choudhary, S/o- Auant Lal Choudhary, Vill.- Amaha Tola Tetarahi, Ward No.-10 P.S- Pipara, Dist.- Supaul-852218.

For the management : Sri Prabhas Kumar Verma, Senior Manager

Sri Vimal Kishore Prasad, Law officer

For the workman : himself

Present : Vishweshwar Nath Mishra Presiding Officer,

Industrial Tribunal, Patna

AWARD

Patna, dt. 16th August, 2019

1. The present case has been filed an u/s 2A (1 & 2) of the Industrial Dispute (Amendment) Act, 2010 by the aforesaid workman who seeks relief of setting aside the order dated-16.10.2014 passed by the Ld Disciplinary Authority & confirmed by the Ld. Appellate Authority vide order dated-27.11.2014, reinstatement in the services of the Bank with all consequential benefits and payment of cost of Rs. 10000/- for contesting the dispute.

2. Matter was raised by the workman before the Assistant Labour Commissioner (Central), Pakur (for short A.L.C (C), who issued notices on 28th May, 2015 to the concerned parties vide file no. 5/41/15-ALC-PKR.